न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः **42/2024** दायर दिनाँक **19.03.2024**

प्रार्थीया

1. रघुवीर सिंह पुत्र गोम सिह उर्फ गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी खोजास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. मातादीनसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. रामसिह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खोजास तहसील डीडवाना
3. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी रतनसिंह निवासी पूरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
4. किशोरसिह पुत्र गोमसिंह
5. अजीतसिंह पुत्र गोमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोजास तहसील डीडवाना।
6. भंवर कंवर पुत्री सुगनकंवर पिता गोमसिंह पत्नी बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी टाटनवा हाल जयपुर राजस्थान।
7. मदन कंवर पुत्री सुगन कंवर पिता गोमसिंह पत्नी गोरधनसिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड हाल सीकर राजस्थान
8. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना—पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा— 212 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड वकील प्रार्थी।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **09.04.2026**

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि शरहद खोजास खेत खसरा नम्बर 50/181 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 103 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 105 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 49 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 49/1 रकबा 06 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 49/177 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 50 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा में से 1/2, खसरा नम्बर 55 रकबा 47 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति की है। जिसका मौखिक बंटवारा प्रार्थी की माता सुगन कंवर ने अपने जीवनकाल में कर दिया। मांता सुगन कंवर का स्वर्गवास दिनांक 31—01—2011 को हो चुका हैं। उपरोक्त खसरान के वर्तमान खसरा नम्बर 257 रकबा 16.700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.8600 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नम्बर 264 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 3.5200 हैक्टेयर हैं. खसरा नम्बर 442 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 7.6600 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 271 रकबा 2.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता भंवर सिंह परिवार में 47 सबसे बडे पुत्र थे। जिनको वाद में वर्णित खसरा नम्बर 55 रकबा 47 बीघा 08 बिस्वा भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 55 रकबा 97 बीघा 14 बिस्वा की भूमि दादाजी उमसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में थी उमसिंह की गांव खोजास जो जागीरदार थे, सिंलिग प्रकरण के कारण खसरा नम्बर 55 की भूमि स्व. भंवर सिंह के नाम बिना किसी प्रतिफल लिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। जिस बाबत् भंवर सिंह ने अपने जवाब दावा दिनांक 04–10–2007 में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उक्त खसरा की भूमि गोम सिंह ने दी थीं जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि पैत्रिक सम्पति की रही है। मगर भंवर सिंह का अकेले का नाम आने से अपने छोटे भाईयो को अब भूमि देना नहीं चाहता है। इस कारण से भंवर सिंह ने न्यायालय हाजा में वाद व टी.आई. प्रस्तुत किये जो न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिये गये। खसरा नं. 53 रकबा 103 बीघा 04 बिस्वा बाबत् न्यायालय ने मौका कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण भी करवाया। अप्रार्थी भंवर सिंह के मन में लालच आने से अपने छोटे भाई को कुल पैतृक सम्पति 171 बीघा 13 बिस्वा जिसमें माता सुगन कंवर का भी हिस्सा था। उक्त भूमि स्व. गोम सिंह के समस्त वारिसान को बराबर हक व हिस्सा जन्म से हैं। जिस बाबत् न्यायालय हाजा में वाद लम्बित है। मगर भंवर सिंह के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण गलत खातेदारी के आधार पर प्रार्थी पक्ष को बैचान, हस्तान्तरण, गिरवीनामा करने की धमकियां दे रहे है। इसलिए प्रार्थी पक्ष को बिना बंटवारा कराये ही दौराने वाद विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पैतृक सम्पति को खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध विधि अनुसार घोषणा बंटवारा के वाद की जानकारी होने के पश्चात भी बिना बंटवारा कराये किसी बाहरी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी देने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है। विधि की यह मंशा भी हैं कि वाद के पेडिंग रहते विक्रय पत्र भी टी.पी. एक्ट के द्वारा वर्जित है। इसलिए तहसीलदार डीडवाना के नाम दौराने वाद विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् भी आदेश किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थीगण के पिता स्व. भंवर सिंह द्वारा प्रस्तुत टी.आई. व वाद न्यायालय हाजा द्वारा खारिज भी किये जा चुके है। प्रार्थी रघुवीर सिंह द्वारा जवाब भी पेश कर दिया। जिस बाबत् भी यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह विवाद केवल स्व. गोमसिंह के वारिसान के मध्य हैं। इसलिए वाद में वर्णित अन्य को पक्षकार नहीं बनाया है। केवल मात्र स्व. गोम सिंह के वारिसान की भूमि व अप्रार्थीगण की भूमि बाबत् ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाके सरहद खोजास वाद में वर्णित खसरा नम्बर 50/181 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 103 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

04 बिस्वा कुल रकबा 105 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 49 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 49/1 रकबा 06 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 49/177 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 50 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा में से 1/2, खसरा नम्बर 55 रकबा 47 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 13 बिस्वा जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 257 रकबा 16.700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरान नम्बर 266 रकबा 3.5200 हैक्टेयर हैं, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 7.6600 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 271 रकबा 2.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.4200 हैक्टेयर बैचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा ना स्वयं करे, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि या एजेन्ट से करावे व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश सादर फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्ष अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादवर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति की है। जिसका मौखिक बंटवारा प्रार्थी की माता सुगन कंवर ने अपने जीवनकाल में कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता भंवर सिंह परिवार में 47 सबसे बडे पुत्र थे। जिनको वाद में वर्णित खसरा नम्बर 55 रकबा 47 बीघा 08 बिस्वा भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 55 रकबा 97 बीघा 14 बिस्वा की भूमि दादाजी उमसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में थी उमसिंह की गांव खोजास जो जागीरदार थे, सिंलिग प्रकरण के कारण खसरा नम्बर 55 की भूमि स्व. भंवर सिंह के नाम बिना किसी प्रतिफल लिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। मगर भंवर सिंह के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण गलत खातेदारी के आधार पर प्रार्थी पक्ष को बैचान, हस्तान्तरण, गिरवीनामा करने की धमकियां दे रहे है। इसलिए प्रार्थी पक्ष को बिना बंटवारा कराये ही दौराने वाद विक्रय करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** सरहद खुनखुना के प्रश्नगत भूमि को पुश्तैनी होना कथन कर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाह रहा है। प्रार्थी का कथन है कि भंवरसिंह परिवार के सबसे बडे सदस्य होने से प्रार्थी के दादा उमसिंह ने बिना किसी प्रतिफल लिये उनके नाम उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। जिससे भंवरसिंह के नाम गलत खातेदारी की आड मे अप्रार्थीगण बैचाण करने पर उतारू है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया पुश्तैनी होना पायी जाती है। पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी के हक अधिकार का बिन्दु तथा प्रार्थी के हितों को प्रभावित करता है या नही? इसका मूल वाद में निर्णय होगा। भूमि

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन :–** प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी रही है तथा प्रार्थी के हक अधिकारों का निर्णय वाद में तय होना है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रश्नगत भूमि को मूल वाद के निर्णय तक खुर्दबुर्द, बेचाण, हस्तान्तरण किया जाता है तो निःसंदेह प्रार्थी को अपूरणीय क्षति संभावित है। अप्रार्थी पक्ष को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होना नहीं पाया जाता है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है कि ता–फैसला मूल वाद वे सरहद खाजोस के वर्तमान खसरा नम्बर 257 रकबा 16.700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरान नम्बर 266 रकबा 3.5200 हैक्टेयर हैं, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 7.6600 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 271 रकबा 2.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.4200 हैक्टेयर की भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द नहीं करेंगे तथा उभयपक्ष राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

(विकास [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 09.04.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना